

आदेश

25.08.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता सुखदेई की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **273/2022** अन्तर्गत धारा-302,364,120 बी भा०दं०सं०, संबंधित थाना वजीरगंज, जिला बदायूँ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना। अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन कथनानुसार अभियुक्ता पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बदायूँ।